



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941

No. 362]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सं. 43/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, (2015-2020) के पैरा 2.54 (घ) (iv) में नामित पत्तन के रूप में सूचीबद्ध करना।

फा. सं. 01/89/180/53/एएम-01/पीसी-2(ख)/खंड-VII/ई-2382.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा पैरा 2.54 (घ) (iv) में कट्टूपल्ली पत्तन के नाम को निम्नानुसार शामिल करते हैं:

मौजूदा पैरा 2.54 (घ) (iv)	संशोधित पैरा 2.54 (घ) (iv)
केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों के माध्यम से ही स्क्रेप का आयात किया जाएगा और निर्यातान्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी किसी अपवाद की अनुमति नहीं होगी:- 1. चेन्नई, 2. कोचीन, 3. एन्नोर, 4. जेएनपीटी, 5. कांडला, 6. मुरगांव, 7. मुम्बई, 8. न्यू मंगलोर, 9. पारादीप, 10. तुतीकोरिन, 11. विशाखापत्तनम, 12. पिपावा, 13. मुन्द्रा, 14. कोलकाता और 15. कृष्णापट्टनम।	केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों के माध्यम से ही स्क्रेप का आयात किया जाएगा और निर्यातान्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी किसी अपवाद की अनुमति नहीं होगी:- 1. चेन्नई, 2. कोचीन, 3. एन्नोर, 4. जेएनपीटी, 5. कांडला, 6. मुरगांव, 7. मुम्बई, 8. न्यू मंगलोर, 9. पारादीप, 10. तुतीकोरिन, 11. विशाखापत्तनम, 12. पिपावा, 13. मुन्द्रा, 14. कोलकाता, 15. कृष्णापट्टनम और 16. कट्टूपल्ली।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 09 मई, 2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 03/2015-2020 के क्रम में, कट्टूपल्ली पत्तन को स्क्रेप के आयात के लिए नामित पत्तन के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 13th November, 2019

No. 43 /2015-2020**Subject :** Enlistment as designated port in Para 2.54(d) (iv) Handbook of Procedure, (2015-20).

F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2[B]/Vol.VII/e-2382.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby inserts the name of Kattupalli Port in Para No. 2.54 (d)(iv) as under:

Existing Para 2.54(d)(iv)	Revised Para 2.54(d)(iv)
Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs:- 1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. Pipava 13. Mundra, 14. Kolkata and 15. Krishnapatnam	Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs:- 1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. Pipava, 13. Mundra, 14. Kolkata, 15. Krishnapatnam and 16. Kattupalli

2. **Effect of this Notification :** In continuation of Public Notice No.03/2015-2020 dated 9th May, 2018, Kattupalli Port is enlisted as a designated port for import of scrap.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.